(31)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (तृतीय), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 44 / 2024(जीसीएमएस 2024 / 83)

अपीलान्ट	रेस्पोडेन्ट
पूसाराम पुत्र रतनलाल मेघवाल जाति मेघवाल निवासी – चावण्डा कॉलोनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर	नाथूराम पुत्र दूदाराम जाति सीरवी निवासी कमल जी के भट्टे के पास, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.08.2021 जो तहसीलदार, बिलाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 08 / 21 बअनवान पूसाराम बनाम नाथूराम में पारित किया गया, को निरस्त करने हेतु।

उपस्थिति :–
अपीलांट अधिवक्ता शैतानराम चौधरी उपस्थित
रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता मदनलाल चौधरी अनुपस्थित

–: आदेश :– दिनांकः 16 / 12 / 2024

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध तहसीलदार, बिलाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 08 / 21 अन्तर्गत धारा 183–बी राज. काश्तकारी अधि. 1955 बअनवान पूसाराम बनाम नाथूराम में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2021, के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 4 की सरहद में भूमि खसरा संख्या 5922 / 17 रकबा 0.4045 हैक्टेयर आयी हुई है जो अपीलांट की संयुक्त खातेदारी एवं पुश्तैनी भूमि है। अपीलांट दिनांक 07.02.2021 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 5922 / 17 की रखवाली करने गया तो उसने देखा कि रेस्पोडेन्ट अपने कुछ मजदूरों के साथ ट्रैक्टर से खेत खसरा संख्या 5922 / 17 की भूमि पर नाजायज रूप से प्रवेश कर खेत में खड़ाई का कार्य करवा रहा था। अपीलांट द्वारा इस प्रकार के कृत्य को करने से रोका जाने पर रेस्पोडेंट द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। अन्ततः रेस्पोडेन्ट को अपीलांट की खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा करने से रोकने हेतु अपीलांट द्वारा तहसीलदार, बिलाड़ा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 की धारा 183–बी के तहत पेश किया। जिस पर तहसीलदार, बिलाड़ा द्वारा सुनवाई कर दिनांक 24.08.2021 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट / प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर रेस्पोडेन्ट / अप्रार्थ्ज़ी का कब्जा / काश्त नहीं पाया जाने से प्रार्थी / अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, (तृतीय)
जोधपुर

अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये जो विधिवत् तामिल होना पाया गया। प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तहसीलदार बिलाड़ा से प्राप्त किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल चौधरी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता को प्रकरण में अपनी बहस प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर दिए गए परन्तु रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस प्रस्तुत नहीं की गई लिहाजा दिनांक 11.06.2024 को रेस्पोडेन्ट का बहस का अवसर बन्द किया गया। एवं दिनांक 18.11.2024 को अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बतलाया कि तहसील बिलाड़ा में हाल ही में डीआईएलआरएमपी के तहत राजस्व रेकॅर्ड में सुधार किया गया है। जिसमें जमाबन्दी, नक्शे का राजस्व रेकॅर्ड अनुसार सुधार किया गया है तथा सभी खसरों का भौतिक नाप किया गया है। पुराने नक्शों एवं वर्तमान जमाबन्दी व कब्जा की स्थिति के आधार पर मौके पर नया नक्शा बनाया गया। अपीलांट का खसरा न. 5922/17 रकबा 0.4045 हैक्टेयर का भी भौतिक रूप से नाप कर नक्शा बनाया गया तथा राजस्व रेकॅर्ड में भी खातेदारों का नाम इन्द्राज किया गया। अपीलांट ने नये नक्शे की ऑनलाइन नकल निकलवाई तो ज्ञात हुआ कि खसरा न. 5922/17 की ऑनलाइन नक्शा की स्थिति तथा मौके पर अपीलांट के कब्जे की स्थिति में भिन्नता है। जिसके आधार पर अपीलांट द्वारा बेदखली का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय ऑनलाइन नक्शे में गलत तरमीम को आधार नहीं माना। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुराना नक्शा किश्तवार के अनुसार निर्णय पारित किया जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू.अ. निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो कि सही नहीं है। भू.अ.निरीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व मौके की वर्तमान स्थिति का अवलोकन नहीं किया गया एवं जांच रिपोर्ट के साथ विवादित खसरों का नजरी नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के अन्त में उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जारी आलोच्य आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली के मूल अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा न. 5922/17 रकबा 0.4045 हैक्टैयर अपीलांट की पैतृक एवं सहखातेदारी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख में उपलब्ध भू.अ.निरीक्षक की

अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन)
जोधपुर

रिपोर्ट में यह स्पष्ट वर्णित है कि हल..का पटवारी के पास उपलब्ध लट्ठा नक्शा में खसरा न. 5922/17 रकबा 0.4045 की तरमीम पूर्व में होना नहीं पाया गया, न ही नामान्तरकरण की पुश्त पर दर्ज है। डीआईएलआरएमपी के तहत ऑनलाइन नक्शे में गलत तरमीम होने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व विवादित खसरों के मौके की वर्तमान स्थिति से संबंधी जांच मंगवाई जानी आवश्यक थी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू.अ.निरीक्षक द्वारा प्रदत जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आलोच्य आदेश पारित कर दिया जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2021 निरस्त योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार, बिलाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 08/21 बअनवान पूसाराम बनाम नाथूराम अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधि., 1955 में जारी अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.08.2021 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार, बिलाड़ा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निस्तारण करें। इसके साथ ही उभय पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे खसरा न. 5922 के ऑनलाइन नक्शे में हुई गलत तरमीम में सुधार करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में चराजोई करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित हो।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (तृतीय)
जोधपुर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (तृतीय)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 16.12.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर (तृतीय) जोधपुर

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (तृतीय)
जोधपुर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (तृतीय)
जोधपुर